

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2024 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.10077

=====

1. भारत संघ, द्वारा सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली, पिन कोड-110011 के माध्यम से
2. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इसके निदेशक द्वारा प्रतिनिधित्वित फुलवारीशरीफ, पटना, बिहार, पिन कोड-801507

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

डॉ. सादिया फातिमा, पुत्री स्वर्गीय अहमद अली भुखरी, निवासी - पीस्ता हाउस के पास, चारमीनार, जिला - हैदराबाद, पिन कोड - 500002

.....उत्तरवादी/ओं

=====

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता/ओं के लिए	:	डॉ. के. एन. सिंह, एसजीआई
		श्री बिनय कुमार पांडे, अधिवक्ता
		श्री शिवादित्य धारी सिन्हा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी/ओं के अधिवक्ता	:	श्री भार्गव पांडे, अधिवक्ता
		मो. गुलाम मुस्तफा, अधिवक्ता
		श्री सत्यभामा राव, अधिवक्ता

=====

चयन और नियुक्ति---भारत का संविधान---अनुच्छेद 14, 16, 41---दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016---धारा 2(आर)---दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2017---अध्याय 5, नियम 11---बैंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण----

वर्तमान लिस में शामिल मुख्य मुद्दा यह है कि क्या द्वितीय याचिकाकर्ता (एम्स, पटना) को चिकित्सा अधिकारी (यूनानी) के पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन को रद्द करने का अधिकार है, जिसमें खुली प्रतियोगिता से आवेदन आमंत्रित करने और विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित करने में हुई त्रुटि के संदर्भ में है या नहीं?--- आरक्षण नीति के साथ संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 को पूरा करने के लिए, द्वितीय याचिकाकर्ता ने विज्ञापन को रद्द करने और उसे फिर से अधिसूचित करने के लिए सुधार किया है कि पद (यूआर-पीडब्ल्यूबीडी) के लिए आरक्षित है न कि (यूआर-01) के लिए--- कैट का गठन संविधान के तहत किया गया है और यह एक न्यायाधिकरण है तथा यह एक वैधानिक निकाय है। इसलिए, वर्तमान रिट में कैट का आवश्यक और उचित पक्ष होना आवश्यक नहीं है --- चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने तक प्रतिवादी को चयन और नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं है --- चयन सूची में रखे गए उम्मीदवार को रिक्तियां उपलब्ध होने पर भी नियुक्त होने का कोई अपरिहार्य अधिकार नहीं मिलता है, हालांकि, सक्षम प्राधिकारी को चयन प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाने के अपने निर्णय को उचित ठहराना होगा ---- सक्षम प्राधिकारी को चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार है, हालांकि, यह मनमाना नहीं होना चाहिए और वैध कारण बताए जाने चाहिए ---- वर्तमान मामले में विज्ञापन को रद्द करने और उसी को फिर से अधिसूचित करने के मामले में कोई मनमानी नहीं है, जहां तक विचाराधीन पद पर सामाजिक आरक्षण को लागू करना है ---- चिकित्सा अधिकारी (यूनानी) की रिक्ति या पद को सामाजिक आरक्षण के साथ भर्ती के नियमों के अनुसार यूआर-पीडब्ल्यूबीडी के लिए आरक्षित किया जाना था, जो एक ठोस तर्क है --- विवादित आदेश को रद्द किया गया---दूसरे याचिकाकर्ता को दूसरे विज्ञापन के साथ आगे बढ़ने और छह महीने की उचित अवधि के भीतर प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया (11-13, 17, 19, 20) (2010) 7 एससीसी 678पर भरोसा किया गया।

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री
और
माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील दत्ता मिश्रा
मौखिक निर्णय
(द्वारा: माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री)

तिथि: 17-01-2025

वर्तमान रिट याचिका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना की ओर से ओ. ए. सं. 050/00479/2023 में पारित दिनांकित 26.04.2024 के सी. ए. टी. आदेश पर आक्षेप करते हुए निवेदन की गई है।

2. याचिकाकर्ता- एम्स ने संस्थान में चिकित्सा अधिकारी (यूनानी) (यू.आर.-01) के एक पद को सीधी भर्ती के आधार पर भरने के लिए 29.06.2019 पर एक विज्ञापन जारी किया। जिन उम्मीदवारों ने पद के लिए आवेदन किया, उन्हें 29.09.2019 को लिखित परीक्षा में शामिल किया गया। इसके बाद, दूसरे याचिकाकर्ता ने 19.12.2019 पर साक्षात्कार आयोजित करने के उद्देश्य से दस्तावेजों के सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट और आमंत्रित किया था। इसके बाद, दूसरे याचिकाकर्ता द्वारा दिनांकित 29.06.2019 विज्ञापन में की गई त्रुटि को सुधारने के लिए बैठक से अवगत कराया गया, जहां तक कि विज्ञापित रिक्ति के आरक्षण (यू.आर.-01) को (यू.आर.-पीडब्ल्यूबीडी) (बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति) के रूप में ठीक किया जाना है। इसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (संक्षेप में 'दिव्यांगजन अधिनियम') की धारा 2(आर) के तहत परिभाषित किया गया है। दूसरे शब्दों में, दिव्यांगजन अधिनियम पर ध्यान देने के बाद चिकित्सा अधिकारी (यूनानी) पद को नियंत्रित करने वाले प्रासंगिक नियमों के साथ पढ़ने के बाद यूआर-पीडब्ल्यूबीडी के उम्मीदवार द्वारा भरा जाना आवश्यक था। इसके बाद, दूसरे प्रत्यर्थी- ने 28.03.2023 पर दिनांकित 29.06.2019 के विज्ञापन को रद्द कर दिया। दूसरे याचिकाकर्ता-एम्स, पटना की कार्रवाई से व्यथित करने वाले होकर कुछ उम्मीदवार इस न्यायालय में राहत मांगने हेतु 2019 की सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 25504 (जियाउल हक और तीन अन्य बनाम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना और अन्य) दाखिल की, जिसे 15.03.2023 पर वापस ले लिया गया

था। इसके बाद, उत्तरवादी- डॉ. सादिया फातिमा ने ओ. ए. सं. 050/00479/2023 दायर किया है जो कि दिनांकित 28.03.2023 की अधिसूचना को रद्द करने बात है, जिसके द्वारा पहले का विज्ञापन रद्द कर दिया गया था और दूसरे याचिकाकर्ता के संस्थान में चिकित्सा अधिकारी (यूनानी) के पद पर उत्तरवादी को नियुक्त करने के लिए परिणामी निर्देश मांगे गए थे, साथ ही वरिष्ठता और अन्य लाभ भी प्रदान किए जाएं।

3. सी. ए. टी., पटना बेंच, पटना (संक्षिप्त 'कैट' के लिए) के समक्ष मूल आवेदन के लंबित रहने के दौरान, दूसरे याचिकाकर्ता ने 26.10.2023 पर विज्ञापन जारी करते हुए पद को पुनः से अधिसूचित किया। मूल आवेदन का निर्णय करते समय कैट द्वारा इस पर ध्यान दिया गया और इस हद तक आदेश पारित के लिए आगे बढ़ाया गया कि भर्ती अधिसूचना दिनांक 28.03.2023 और बाद में विज्ञापन दिनांक 26.10.2023 को रद्द और दरकिनार कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है और उत्तरवादी - डॉ. सादिया फातिमा के मूल आवेदन की दी जाती है स्वीकृति दी गई। दिनांक 26.04.2024 के कैट के आदेश से व्यथित करते हुए होकर, याचिकाकर्ता वर्तमान रिट याचिका दायर कर इस न्यायालय के समक्ष हैं।

याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील- डॉ. के. एन. सिंह, एएसजीआई ने निवेदित किया कि सामाजिक आरक्षण रोस्टर बिंदु पर विचार न करने के कारण पहले विज्ञापन में एक गंभीर त्रुटि है, जबकि इसकी तथ्य की अनदेखी करते हुए कि अनारक्षित एक पद यू. आर.-पीडब्ल्यू. बी. डी. के लिए चिन्हित किया गया। दूसरी ओर, 29.06.2019 दिनांकित विज्ञापन दिव्यांग व्यक्तियों की परवाह किए बिना खुली प्रतियोगिता के लिए है। पहले विज्ञापन को सुधारने की आड़ में, दूसरे याचिकाकर्ता ने 29.06.2019 दिनांकित विज्ञापन को रद्द करने का नीतिगत निर्णय लिया है और एक नया विज्ञापन जारी करने का इरादा रखा और इसे 26.10.2023 पर जारी किया गया।

5. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने निवेदन किया कि कैट ने चिकित्सा अधिकारी (यूनानी) के पद को रद्द करने एवं पुनः अधिसूचित करने के कारणों की सराहना नहीं करने की अधिकारी (यूनानी) के पद को इस हद तक त्रुटि की है से अधिसूचित नहीं करने में त्रुटि की है कि यह अनारक्षित-पीडब्ल्यूबीडी पद है। दूसरे शब्दों में, सामान्य उम्मीदवार के लिए चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया में भाग लेना का अवसर खुला नहीं है। यह कवायद नियम, 2017 और आरक्षण नीति के साथ पढ़े गए दिव्यांगजन अधिकार कानून 2016 के आलोक में की गई है, जिसकी कैट द्वारा सराहना नहीं की गई है। पैरा 20 और 21 में, कैट ने निष्कर्ष निकाला है कि पहले विज्ञापन दिनांक 29.06.2019 और दूसरे विज्ञापन दिनांक 26.10.2023 के बीच कोई अंतर नहीं है। इसलिए, दिनांकित 29.06.2019 के पहले विज्ञापन को रद्द करने और 26.10.2023 को फिर से अधिसूचित करने की कार्यवाही को गलत ठहराना त्रुटिपूर्ण है। दिव्यांगजन के लिए आरक्षण नीति के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 को पूरा करने के लिए, यह नियुक्ति/चयन प्राधिकरण का कर्तव्य था कि 29.06.2019 के पहले विज्ञापन में की गई त्रुटि को ठीक किया जाए और यह एक वैध कारण के साथ एक गंभीर त्रुटि है और इसे विज्ञापन को रद्द करने और उसे फिर से अधिसूचित करने के माध्यम से ठीक किया गया है। इस वैध सुधार को कैट द्वारा अपने दिनांक 26.04.2024 के आदेश में नजरअंदाज किया गया है।

6. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने निवेदन किया कि मूल आवेदन के लंबित रहने के दौरान उत्तरवादी दिनांक 26.10.2023 के दूसरे विज्ञापन के जारी होने के संबंध में आगे के विकास का मूल्यांकन करने में विफल रहा है और इसे कैट के समक्ष निवेदन नहीं किया गया था और इसे कोई चुनौती नहीं है। दूसरे शब्दों में, अंतर्वर्ती आवेदन दिनांक 26.10.2023 के दूसरे विज्ञापन के उत्पादन के रूप में दायर किया जाना चाहिए था और उसके बाद दिनांक 26.10.2023 के दूसरे विज्ञापन को चुनौती

देने के लिए मूल आवेदन में संशोधन किया जाना चाहिए था। आधार संख्या -XVII पर वर्तमान रिट याचिका में इस तर्क का विशेष रूप से अनुरोध किया गया है। प्रत्यर्थी ने जवाबी हलफनामा दायर किया है जिसमें प्रत्यर्थी ने आधार संख्या-XVII का विरोध नहीं किया है, जहां तक कि दूसरे विज्ञापन दिनांक 26.10.2023 को चुनौती नहीं दी गई है। इन मामलों में कैट के आदेश को रद्द करते हुए और दूसरे विज्ञापन की पुष्टि करते हुए 2024 की सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 10077 की अनुमति दी जानी है।

प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुतियाँ

7. प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने एक प्रारंभिक मुद्दा इस हद तक उठाया कि वर्तमान रिट याचिका इस तथ्य को देखते हुए बनाए रखने योग्य नहीं है कि कैट, पटना बेंच, पटना को आवश्यक और उचित पक्षकार के रूप में नहीं रखा गया है। यह निवेदन किया जाता है कि पहले विज्ञापन और दूसरे विज्ञापन के बीच कोई अधिक अंतर नहीं है और जो रिक्ति निर्धारित की गई है वह यूआर (पीडब्ल्यूबीडी) है। यदि पद यूआर-पीडब्ल्यूबीडी के लिए आरक्षित है, तो याचिकाकर्ता केवल उन उम्मीदवारों तक सीमित चयन प्रक्रिया को अलग कर सकते हैं जो यूआर-पीडब्ल्यूबीडी के तहत आवेदन करने के योग्य हैं। उन्होंने कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आधिकारिक ज्ञापन के पैरा 8.2 का भी उल्लेख किया है। पैरा 8.2 मानक अक्षमता से संबंधित है और यह नियोक्ता के लिए एक दिशानिर्देश है कि मानक अक्षमता वाले व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति की रिक्ति को कैसे भरा जाए। उन्होंने उपरोक्त आधिकारिक ज्ञापन दिनांक 15.01.2018 के पैरा 4 पर भरोसा किया है और यह अनारक्षित रिक्तियों के खिलाफ समायोजन से संबंधित है।

8. यह आगे निवेदन किया जाता है कि अधिसूचना दिनांक 28.03.2023 को रद्द करना, जो एक अनुचित आदेश है या रद्द करने के लिए दिए गए कारणों का निर्णय

प्रशासनिक मुद्दा है। यह तर्क निर्णायक है और कारणों से समर्थित नहीं है। यह भी निवेदन किया जाता है कि 29.06.2019 दिनांकित विज्ञापन को रद्द करने के लिए बैठक को सूचित किया गया था। विज्ञापन रद्द करने से संबंधित और कारणों से समर्थित किसी भी मुद्दे के संदर्भ में कोई उचित एजेंडा नहीं था।

9. यह आगे निवेदन किया जाता है कि दिनांक 29.06.2019 के पहले विज्ञापन को प्रभावी बनाने और दिनांक 26.04.2024 के कैट के आदेश की पुष्टि करने के लिए, वह दिव्यांगजन अधिनियम के प्रावधानों, अर्थात् संविधान के अनुच्छेद 41 के साथ पठित धारा 20 (1), धारा 3 (2) और धारा 3 (3) पर भरोसा कर रहा है।

विश्लेषण

10. संबंधित पक्षों के लिए विद्वानों की सलाह सुनी।

11. वर्तमान विवाद में शामिल मुख्य मुद्दा यह है कि क्या द्वितीय याचिकाकर्ता- एम्स, पटना को खुली प्रतियोगिता से आवेदन आमंत्रित करने और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित किए जाने के संदर्भ में की गई त्रुटि के संबंध में चिकित्सा अधिकारी (यूनानी) के पद पर भर्ती के लिए दिनांकित 29.06.2019 विज्ञापन को रद्द करने का अधिकार है या नहीं? चिकित्सा अधिकारी (यूनानी) पद का 29.06.2019 पर विज्ञापन जारी करने के बारे में तथ्य इस हद तक विवादित नहीं हैं कि 29.06.2019 दिनांकित विज्ञापन में हम दो स्तंभों से संबंधित हैं, अर्थात्:

एस. नं.	पद का नाम, वेतनमान और आवश्यक मानदंड	समूह	आयु सीमा	रिक्तियों की संख्या और आरक्षण	अक्षमता की श्रेणी जिसके लिए उपयुक्त पद की पहचान की	चयन की प्रक्रिया
---------	-------------------------------------	------	----------	-------------------------------	--	------------------

					गई है	
1	वेतन मैट्रिक्स में यूनानी स्तर-11 के चिकित्सा अधिकारी (रु। 56100- 177500) रु. 15600-39100 जी. पी. 5400/- के साथ (पूर्व-संशोधित)	ए.	21-35 वर्षों	1 (यू. आर.- 01)	ओ. ए./ओ. एल. (ओ. ए.-वन आर्म, ओ. एल.-वन लेग)	लिखित परीक्षा और साक्षात्कार

उपरोक्त दोष को दूसरे विज्ञापन दिनांक 26.10.2023 के संदर्भ में निम्नानुसार ठीक किया

गया था:

एस. नं.	पद का नाम, वेतनमान और आवश्यक पात्रता मानदंड	समूह	आयु सीमा	रिक्तियों की संख्या और आरक्षण	अक्षमता की वह श्रेणी जिसके लिए उपयुक्त पद की पहचान की गई है	चयन की प्रक्रिया
1	वेतन मैट्रिक्स में यूनानी स्तर-10 के चिकित्सा अधिकारी (रु। 56100- 177500) रु. 15600- 39100 जी. पी. 5400/- के साथ (पूर्व- संशोधित)	ए.	21-35 वर्षों	1 (यूआर- पीडब्ल्यूबीडी)	ओ. ए./ओ. एल. (ओ. ए.-वन आर्म, ओ. एल.-वन लेग)	लिखित परीक्षा और साक्षात्कार

12. 29.06.2019 पर पहला विज्ञापन जारी करते समय की गई त्रुटि

चिकित्सा अधिकारी (यूनानी) के एक और एकमात्र पद को यू. आर. (पीडब्ल्यू बी.

डी.) के लिए आरक्षित नहीं करने के संबंध में है। 29.06.2019 पर जारी किए गए पहले विज्ञापन में, यह दिखाया गया है कि (यूआर-01) सामाजिक आरक्षण नीति के साथ पढ़े गए भर्ती के नियमों के अनुसार नहीं है, विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2017 के अध्याय V में बेंचमार्क अक्षमताएँ वाले व्यक्तियों के लिए रिक्तियों से संबंधित है। नियम 11 रिक्तियों की गणना से संबंधित है। 2017 का नियम 11 इस प्रकार है:

“11. रिक्तियों की गणना- (1) रिक्तियों की गणना के उद्देश्यों के लिए, पदों के प्रत्येक समूह में संवर्ग संख्या में चिन्हित और गैर-चिन्हित पदों में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों सहित कुल रिक्तियों की संख्या का चार प्रतिशत उपयुक्त सरकार द्वारा मानदंड दिव्यांग व्यक्तियों के लिए ध्यान में रखा जाएगा: बशर्ते कि पदोन्नति में आरक्षण उपयुक्त सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार होगा।

(2) प्रत्येक सरकारी प्रतिष्ठान समय-समय पर उपयुक्त सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार संवर्ग संख्या में मानक दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रिक्तियों की गणना के उद्देश्य से एक रिक्ति आधारित रोस्टर बनाए रखेगा।

(3) रिक्तियों को भरने के लिए विज्ञापन देते समय, प्रत्येक सरकारी प्रतिष्ठान को अधिनियम की धारा 34 के प्रावधानों के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के प्रत्येक वर्ग के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या को इंगित करेगा।

(4) अधिनियम की धारा 34 के प्रावधानों के अनुसार दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण क्षैतिज होगा और मानक दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रिक्तियों को एक अलग वर्ग के रूप में बनाए रखा जाएगा।”

दूसरे शब्दों में, एक और एकमात्र चिकित्सा अधिकारी (यूनानी) पद (यूआर-पीडब्ल्यूबीडी) के लिए आरक्षित होना था। इस प्रकार चिकित्सा अधिकारी (यूनानी) के

पद पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों के बीच अनावश्यक रूप से खुली प्रतिस्पर्धा आमंत्रित की गई है। इसे निःशक्तता के बिना अनारक्षित और ओ. ए./ओ. एल. की दिव्यांगता के साथ के रूप में अलग किया जा सकता था। हालांकि, दिव्यांगता अधिनियम और दिव्यांगता के लिए आरक्षण के प्रावधानों के साथ संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 को पूरा करने के लिए दूसरे याचिकाकर्ता-एम्स, पटना ने विज्ञापन में इस हद तक सुधार करते हुए चिकित्सा अधिकारी (यूनानी) के पद को फिर से अधिसूचित करने के लिए सकारात्मक कदम उठाए हैं कि केवल एक और चिकित्सा अधिकारी (यूनानी) पद (यूआर-पीडब्ल्यूबीडी) के लिए आरक्षित किया जाना है। दूसरे शब्दों में, दूसरा विज्ञापन केवल यूआर-पीडब्ल्यूबीडी वाले उम्मीदवारों तक ही सीमित होना चाहिए और यह खुली प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं है। पीडब्ल्यूबीडी व्यक्तियों का एक वर्ग है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कुछ पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों ने इस पद के लिए दिनांक 29.06.2019 के पहले विज्ञापन के अनुसार इस धारणा पर आवेदन नहीं किया होगा कि यह खुली प्रतिस्पर्धा के लिए है। दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए केवल दिव्यांगता की श्रेणी जिसके लिए पद की पहचान की गई है और ओ. ए./ओ. एल. (एक हाथ और एक पैर) के लिए उपयुक्त है, पहले विज्ञापन में इंगित किया गया है। दूसरे शब्दों में, एकमात्र चिकित्सा अधिकारी (यूनानी) को (यूआर-पीडब्ल्यूबीडी) के लिए आरक्षित नहीं किया गया है। आरक्षण नीति के साथ पढ़े गए संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 को पूरा करने के लिए, दूसरे याचिकाकर्ता ने विज्ञापन को रद्द कर दिया है और इसे फिर से अधिसूचित किया है, जबकि पद (यूआर-पीडब्ल्यूबीडी) के लिए आरक्षित है न कि (यूआर-01) के लिए और यह रद्द करने और फिर से अधिसूचित करने का एक वैध कारण है। कैट ने अनुमान लगाया है कि वर्ष 2024 के पहले विज्ञापन दिनांक 29.06.2019 और विज्ञापन दिनांक 26.10.2023 के बीच बहुत अंतर नहीं है, गलत है। नतीजतन, कैट ने मूल आवेदन की अनुमति देने में त्रुटि की है।

13. प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि वर्तमान याचिका कैट, पटना पीठ, पटना को आवश्यक और उचित पक्षकार के रूप में शामिल न करने में विचारणीय नहीं है। कैट का गठन संविधान के तहत किया गया है और यह एक न्यायाधिकरण है और यह एक वैधानिक निकाय है। इसलिए, कैट को वर्तमान सी. डब्ल्यू. जे. सी. के लिए आवश्यक और उचित पक्षकार होने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए, उपरोक्त तर्क को खारिज कर दिया जाता है।

14. प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील ने ओ. एम. के पैरा 4 और 8.2 दिनांकित 15.01.2018 पर भरोसा किया, यह बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण के संबंध में है। पैरा 4 और 8.2 का दिनांकित 26.10.2023 के दूसरे विज्ञापन के साथ पढ़े गए दिनांकित 29.06.2019 के विज्ञापन से कोई लेना-देना नहीं है। इसी तरह, दिनांकित 28.03.2023 रद्द करने की अधिसूचना में कारणों को निर्दिष्ट नहीं करने और प्रशासनिक मुद्दे का उल्लेख करने में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। सर्वोत्तम रूप से उत्तरवादी को फाइल से यह पता लगाने के लिए कि निर्धारित कारण क्या हैं, प्रासंगिक रिकॉर्ड को कॉल करने की मांग करनी चाहिए थी।

15. जो भी हो, अभिलेखों से इस हद तक कारण सामने आ रहे हैं कि 29.06.2019 दिनांकित विज्ञापन में, यह अनजाने में पद अनारक्षित था और यह एक खुली प्रतियोगिता थी और इसलिए आरक्षण उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। दूसरी ओर, जब इस तरह के आयोजन में अनारक्षित (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए पद निर्धारित किया जाता है, तो पहले विज्ञापन और दूसरे विज्ञापन के रूप में परिवर्तन का सागर होता है, जिसे कैट द्वारा सूचित नहीं किया गया है।

16. प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने निवेदन किया कि रद्द करने के उद्देश्य से बताई गई बैठक उचित एजेंडा के साथ नहीं है, इसका निर्णय इन कारणों से नहीं किया जा सकता है कि याचिकाकर्ता विशिष्ट विवाद और दिनांकित 29.06.2019 विज्ञापन को

रद्द करने और उसे फिर से अधिसूचित करने के लिए वैध कारणों के साथ आए हैं।

17. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने दिव्यांगजन अधिनियम और संविधान के अनुच्छेद 41 के निम्नलिखित प्रावधानों पर भरोसा किया जो नीचे दिए गए हैं-

“धारा 20 रोजगार में गैर-भेदभाव रोजगार— (1) कोई भी सरकारी प्रतिष्ठान रोजगार से संबंधित किसी भी मामले में किसी भी दिव्यांग व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा: बशर्ते कि उपयुक्त सरकार, किसी भी प्रतिष्ठान में किए गए कार्य के प्रकार को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, तो किसी भी प्रतिष्ठान को इस धारा के प्रावधानों से छूट दे सकती है।

3. समानता और गैर-भेदभाव-

(2) उपयुक्त सरकार उपयुक्त वातावरण प्रदान करके दिव्यांग व्यक्तियों की क्षमता का उपयोग करने के लिए कदम उठाएगी।

(3) किसी भी दिव्यांग व्यक्ति के साथ अक्षमता के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता है कि विवादित कार्य या चूक एक वैध उद्देश्य को प्राप्त करने का एक आनुपातिक साधन है।

अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में काम करने, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार- राज्य, अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और अक्षमता और अन्य अनर्ह अभाव के मामलों में काम करने, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा।

उपर्युक्त प्रावधान वर्तमान मामले में लागू नहीं हैं। इसके अलावा, जहां तक विज्ञापन दिनांक 29.06.2019 को रद्द करने का अधिकार है, वहां तक प्रत्यर्थी का अधिकार नहीं लिया गया है। दूसरी ओर, उन्हें अनारक्षित (पीडब्ल्यूबीडी) के खिलाफ

चिकित्सा अधिकारी (यूनानी) के पद पर चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया में भाग लेने का एक और अवसर प्रदान किया गया है। वास्तव में, चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने तक प्रत्यर्थी को चयन और नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं है। अदालतों ने समय-समय पर यह निर्णय दिया है कि चयन सूची में रखे गए उम्मीदवार को रिक्तियां उपलब्ध होने पर भी नियुक्त होने का कोई अक्षम्य अधिकार नहीं है। हालांकि, सक्षम प्राधिकरण को चयन प्रक्रिया के साथ आगे नहीं बढ़ने के अपने फैसले को सही ठहराना होगा। पहले विज्ञापन के अनुसार चयन प्रक्रिया ने चयन सूची के प्रकाशन के रूप में अंतिमता प्राप्त नहीं की है।

18. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने निवेदन किया कि दूसरे विज्ञापन दिनांक 26.10.2023 को कोई चुनौती नहीं है। इस बिंदु पर, उत्तरवादी वकील इस बात का जवाब नहीं दे सके कि उत्तरवादी ने 26.10.2023 की अधिसूचना प्रस्तुत करने और इसे चुनौती देने के लिए अंतर्वर्ती आवेदन क्यों दायर नहीं किया है और यह दूसरे विज्ञापन से संबंधित है। यहां तक कि वर्तमान याचिका में भी उत्तरवादी द्वारा जवाबी हलफनामे में याचिकाकर्ताओं के बिंदु सं. XVII के संबंध में मौन है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कैट ने उत्तरवादी की ओर से दूसरे विज्ञापन दिनांक 26.10.2023 को हस्तक्षेप करने के लिए आगे बढ़ा है, उत्तरवादी के दूसरे विज्ञापन दिनांक 26.10.2023 को चुनौती नहीं देने के बावजूद में दूसरे विज्ञापन दिनांक 26.10.2023 हस्तक्षेप करने के लिए आगे बढ़ा है। 26.10.2023-विज्ञापन को चुनौती देने के रूप में विशिष्ट राहत की मांग के अभाव में न्यायाधिकरण ने दिनांक 26.10.2023 के दूसरे विज्ञापन में हस्तक्षेप करने के रूप में अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया।

19. समय-समय पर, न्यायालयों ने माना है कि सक्षम प्राधिकारी को चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार है, हालांकि, यह मनमाना नहीं होना चाहिए और वैध कारण दिए जाने चाहिए। इस संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने

ईस्ट कोस्ट रेलवे और ए. एन. आर. बनाम महादेव अप्पा राव और अन्य (2010) 7 एस. सी. सी. 678 में रिपोर्टेड के मामले में निर्णय के प्रासंगिक पैरा 14 से 16 और 31 निम्नानुसार हैं:

14. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि कोई भी उम्मीदवार केवल परीक्षा में उपस्थित होने या चयन सूची में जगह पाने के कारण किसी पद का अक्षम्य अधिकार प्राप्त नहीं करता है, फिर भी राज्य को मनमाने तरीके से नियुक्ति से इनकार करने या उम्मीदवारों की योग्यता की अवहेलना करने का अयोग्य विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है जैसा कि चयन प्रक्रिया के अंत में तैयार की गई योग्यता सूची से पता चलता है। नियुक्ति नहीं करने के राज्य के निर्णय की वैधता इस प्रकार एक ऐसा मामला जो एक सक्षम रिट अदालत के समक्ष न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। यदि ऐसा कोई निर्णय वास्तव में मनमाना पाया जाता है, तो मामले में उचित निर्देश जारी किए जा सकते हैं।

15. इसी प्रभाव के लिए इस न्यायालय का निर्णय केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ बनाम दिलबाग सिंह [(1993) 1 एस. सी. सी. 154:1993 एससीसी (एल एंड एस) 144:(1993) 23 ए. टी. सी. 431] जहाँ इस न्यायालय ने फिर से दोहराया कि एक उम्मीदवार जिसे चयन सूची में जगह मिलती है, उसे किसी भी पद पर नियुक्त होने का कोई निहित अधिकार नहीं हो सकता है, किसी भी विशिष्ट नियम के अभाव में जो उसे इसके लिए हकदार बनाता है, वह अभी भी अपनी गैर-नियुक्ति से व्यथित हो सकता है यदि संबंधित प्राधिकरण मनमाने ढंग से या दुर्भावनापूर्ण तरीके से कार्य करता है। यह भी एक ऐसा मामला था जिसमें चयन बोर्ड द्वारा सी. टी. यू. में संचालक के रूप में नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की चयन सूची अनुचित और अनुचित तरीके से तैयार करने के बारे में शिकायतें मिलने पर चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा चयन प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया था। उक्त शिकायत की जांच में शिकायत में लगाए गए आरोप सही साबित हुए। यह उस पृष्ठभूमि में था कि चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा की

गई कार्रवाई को न तो भेदभावपूर्ण और न ही अन्यायपूर्ण माना गया था क्योंकि इस अदालत द्वारा "संदिग्ध चयन" के रूप में वर्णित कार्रवाई को रद्द करने के वैध कारणों से इसका विधिवत समर्थन किया गया था।

16. इन सिद्धांतों को मामले में लागू करने का कोई लाभ नहीं है कि टाइपराइटिंग परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को नियुक्ति लेने का कोई अक्षम्य या पूर्ण अधिकार नहीं था, फिर भी उन्होंने परीक्षा और उसके परिणाम को मनमाने तरीके से रद्द करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को लाइसेंस नहीं दिया। कम से कम वे उम्मीदवार जो अन्यथा नियुक्ति के लिए पात्र थे और जो उस परीक्षा में उपस्थित हुए थे जो उनके पक्ष में संभावित नियुक्ति का एक कदम था, यह सुनिश्चित करने के लिए हकदार थे कि चयन प्रक्रिया को दुर्भावनापूर्ण कारणों से या मनमाने तरीके से बाधित नहीं होने दिया जाए।

31. तो यह भी कि क्या सक्षम प्राधिकारी को रद्द करने का आदेश पारित करने से पहले आरोपों का सत्यापन की जांच करनी चाहिए थी। एक ऐसा मामला है जो प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। यह अक्सर प्राधिकरण के समक्ष रखी गई सामग्री की प्रकृति, स्रोत और विश्वसनीयता पर निर्भर हो सकता है। यह इस बात पर भी निर्भर कर सकता है कि विवाद की प्रकृति, समय, प्रयास और खर्च की बाधाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसी कोई कवायद संभव है या नहीं। लेकिन जो बिल्कुल आवश्यक है वह यह है कि आदेश देने वाला प्राधिकारी उस सामग्री के प्रति सचेत है जिसके आधार पर वह निर्णय लेना चाहता है। यह यंत्रवत या आवेग के तहत कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि एक रिट अदालत न्यायिक रूप से इस तरह के किसी भी आदेश की समीक्षा करने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण में निहित शक्ति के प्रयोग को उचित और उचित दिमाग के उपयोग के अलावा स्वीकार नहीं कर सकती है। कोई भी अन्य दृष्टिकोण ऐसी शक्ति पर धोखाधड़ी को माफ करने के बराबर होगा जिसका उपयोग करने वाला प्राधिकरण केवल एक वैध उद्देश्य के

लिए और प्रशासनिक कानून के तय किए गए सिद्धांतों के साथ विश्वास में प्रयोग किया जा सकता है।"

20. वर्तमान मामले में, हम पाते हैं कि संबंधित पद के लिए सामाजिक आरक्षण के कार्यान्वयन के रूप में उसी को फिर से अधिसूचित करते समय दिनांकित 29.06.2019 विज्ञापन को रद्द करने के संबंध में कोई मनमानेपन नहीं है। चिकित्सा अधिकारी (यूनानी) की रिक्ति या पद सामाजिक आरक्षण के साथ भर्ती के नियमों के संदर्भ में यूआर-पीडब्ल्यूबीडी के लिए आरक्षित किया जाना था, जो एक ठोस तर्क है।

21. इन तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, याचिकाकर्ताओं ने एक मामला बनाया है ताकि ओ. ए. संख्या 050/00479/2023 में पारित दिनांकित 26.04.2024 सी.ए.टी. के आदेश में हस्तक्षेप किया जा सके और इसे रद्द किया कर दिया जाता है।

22. दूसरे याचिकाकर्ता- एम्स, पटना को इसके द्वारा निर्देश दिया जाता है कि वह दूसरे विज्ञापन दिनांक 26.10.2023 के साथ आगे बढ़े और इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से छह महीने की उचित अवधि के भीतर प्रक्रिया को पूरा करे।

(पी. बी. भजंत्री, न्यायमूर्ति)

(सुनील दत्ता मिश्रा, न्यायमूर्ति)

अभिषेककर/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।